न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/2019

सेवाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी ढिगाल तहसील नवलगढ उप तहसील मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू
—अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत ढिगाल पं.स. नवलगढ
2. रामसिंह पुत्र सेवाराम जाति जाट निवपसी ढिगाल तहसील नवलगढ उप तहसील मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनू

—रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 1545 दिनांक 20.02.2019 को प्रस्ताव सं0 1 के द्वारा ग्रम पंपचायत ढिगाल में तस्दीक किया है जिसको निरस्त करवाने बाबत

एडवोकेट अपीलान्ट :— श्री विप्पलव पंडित
एडवोकेट रेस्पोडेन्ट :— श्री विजेन्द्रसिंह दूत

आदेश

दिनांक 19.08.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम ढिगाल की सरहद में अपीलान्ट की खातेदारी क़ाश्तकारी की कृषि भूमि नई खाता सं0 563 के ख.न. 223 रकबा 2.38 है0 स्थित है। जिसमें से भूमि रकबा 0.2821 है0 रजि0 उपहार—पत्र (गिफ्ट डीड) दिनांक 05.11.2018 के द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 रामसिंह को दी गईठ है। जिसका कोई विवाद नही है। उक्त रजि0 उपहार पत्र के मुताबिक रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में पटवारी हल्का ढिगाल ने नामा0 संख्या 1545 भरकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 ग्राम पंचायत ढिगाल के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने प्रस्ताव सं0 1 के अनुसार दिनांक 20.02.2019 को उक्त नामा0 स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया है। लेकिन पटवारी हल्का ने रजि0 उपहार में दर्ज भूमि के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा सही दर्ज नही किया है। बल्कि अपीलान्ट का हिस्सा कम दर्ज कर दिया अर्थात अपीलान्ट का हिस्सा कम व व रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा ज्यादा दर्ज कर दिया है अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा ज्यादा दर्ज कर दिया है अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से तस्दीक करके अवैद्यानिक निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट उक्त अपील पेश है कि ग्राम पंचायत ढिगाल का निर्णय दिनांक 20.02.2019 गलत व नियम विरूद्ध व पत्रावली पर आई साक्ष्य व दस्तावेजात के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। रजिस्टर्ड उपहार पत्र में दर्ज भूमि के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा 2821/28500 बनता है और अपीलान्टका हिस्सा 25679/28500 बनता है। लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त नामा0 सं0 अपीलान्ट का हिस्सा 25679/28500 के स्थान पर हिस्सा 2821/28500 दर्ज किया है और रेस्पोडेन्ट सं0 2 का हिस्सा 2821/28500 के स्थान पर स्सि 25679/28500 दर्ज किया हे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त नामा0 का निर्णय पारित किया तब अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई बाबत कोई उचित अवसर प्रदान नही किया है और ना ही नोटिस जारी किये हैं और ना ही वार्ड पंचों व आस पडौस के व्यक्तियों से कोई जांच व पूछ ताछ की है और ना ही रजि0 उपहार पत्र का अवलोकन किया है। इस कारण ग्राम पंचायत ढिगाल के सरपंच ने केवल मात्र पटवारी हल्का के कहने से उक्त नामा0 गलत हिस्से का तस्दीक किया है जिसको निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम ढिगाल की सरहद में स्थित नई खाता सं0 563 की कृषि भूमि ख.न. 223 रकबा 2.85 है0 के संबंध में गलत व विधि

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

विरूद्ध तरीके से नामा0 सं0 1545 भरा जाकर दिनांक 20.02.2019 को तस्दीक किया है जिसको निरस्त किया जाकर खारीज किये जाने की कृपा करें तथा रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 05.11.2018 दर्ज भूमि के मुताबिक सही हिस्सा दर्ज करके पुनः निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित व आदेशित किया जावे।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पोडेन्टगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह दूत का वकालतनामा पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई तथा अपील स्वीकार करने मे कोई एतराज नही होना जाहिर किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक गिफ्ट डीड अपीलान्ट सेवाराम ने आने पुत्र रामसिंह के पक्ष में ग्राम ढिगाल में ख.न. 223 रकबा 2.85 है0 में से 0.2821 है0 भूमि उपहार में दी थी। जबकि नामान्तरकरण सं0 1545 में सेवाराम का हि0 2821/28500 तथा रामसिंह का हिस्सा 25679/28500 दर्ज कर दिया जो गलत है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरणकरण सं0 1545 निर्णित दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उपहार पत्र दिनांक 15.11.2018 अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज किया जावे। निर्णय दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-8-19

(मुरारी लाल)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
नवलगढ